अपने ग्राहक को जानें

वित्तीय साक्षरता सप्ताह
5–9 जून 2017

बैंक खाता खोलने और उसे चालू रखने के लिए केवाईसी (अपने ग्राहक को जाने) जरूरी लेकिन आसान प्रक्रिया है।

KYC

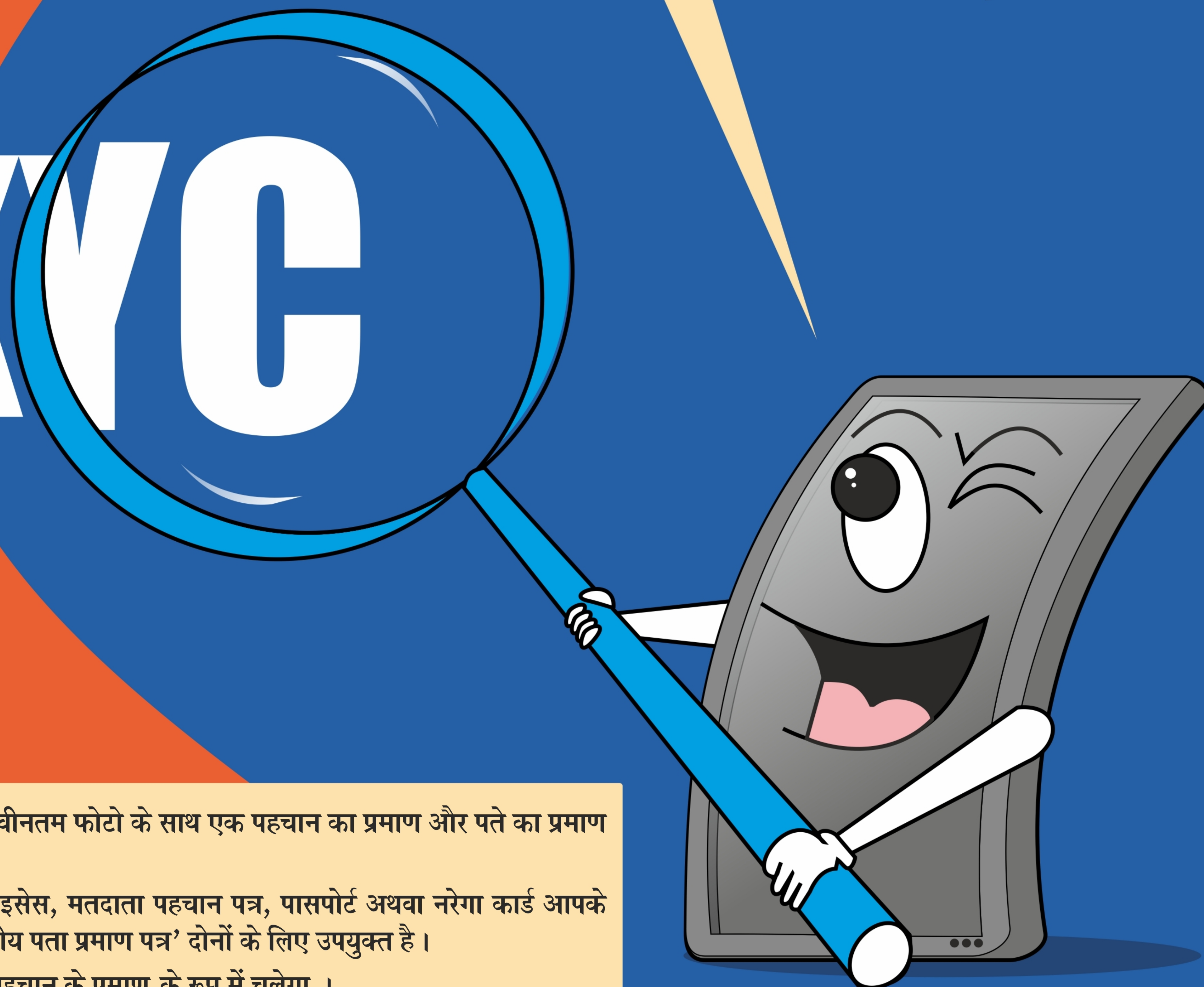

- बैंक खाता खोलेने के लिए आपके नवीनतम फोटो के साथ एक पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण प्रर्याप्त है ।
  - आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट अथवा नरेगा कार्ड आपके 'परिचय प्रमाण पत्र' और 'आवासीय पता प्रमाण पत्र' दोनों के लिए उपयुक्त है।
  - पैन (PAN) कार्ड केवल आपके पहचान के प्रमाण के रूप में चलेगा ।

- यदि आपका वर्तमान पता आपके द्वारा बैंक में जमा किए गए आवासीय पता प्रमाण पत्र में दिए गए पते से भिन्न है तो आपके नये पते के बारे में दी गयी आपकी घोषणा पर्याप्त है।

- यहाँ तक कि आप बिना 'परिचय प्रमाण पत्र' और 'आवासीय पता प्रमाण पत्र' के भी केवल एक नवीनतम फोटोग्राफ जमा कर और अपना हस्ताक्षर करके एक बचत बैंक लघु खाता (Small account) खोल सकते हैं। आप इस खाते में ₹ 50,000/- तक की जमाराशि रख सकते हैं, प्रति माह ₹ 10000/- तक अपने खाते से निकाल सकते हैं तथा प्रति वित्त वर्ष ₹ 1 लाख तक जमा कर सकते हैं।

- बैंकों को केवाईसी विवरण की पुनः पुष्टि केवल प्रत्येक 2, 8 अथवा 10वें वर्ष पर करवानी होती है जो आपकी जोखिम पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है।

- केवाईसी प्रक्रिया के संबंध में यदि कोई शिकायत हो तो उसके लिए कृपया अपने बैंक में शिकायत दर्ज करें। यदि बैंक के जवाब से आप संतुष्ट नहीं हों तो भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकिंग लोकपाल में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट https://bankingombudsman.rbi.org.in देखें।

अधिक जानकारी के लिए
कृपया वेबसाइट
www.rbi.org.in/KYCFAQ देखें

वित्तीय साक्षरता – विकास का रास्ता

केवाईसी

वित्तीय समावेशन एवं विकास विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
www.rbi.org.in